International Journal of Applied and Universal Research **E- ISSN No: 2395-0269**
Volume VI, Issue III, June 2019 Available online at: www.ijaur.com

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन

1. डॉ. आर. पी. द्विवेदी (एचओडी वाणिज्य विभाग सोमेश्वर सिंह शास0 महा0 नईगढी रीवा)
2. आशुतोस द्विवेदी (शोधार्थी वाणिज्य अवधेश प्रताप सिंह वि.वि. रीवा)
3. ममलेश्वर पाण्डेय (शोधार्थी वाणिज्य अवधेश प्रताप सिंह वि.वि. रीवा)

सारांश– भारत की एक बहुत बड़ी आबादी खेती पर निर्भर करती है इनका जीवन यापन खेती पर ही निर्भर करता है किन्तु कई बार मौसम की मार जैसे सूखा, बाढ आदि की वजह से इनकी फसल नष्ट हो जाते हैं और इन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ जाता है। कई बार किसान कर्ज और नुकसान के बोझ तले आत्म हत्या तक कर लेते है। इस समस्या से निदान पाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरूआत की है इस योजना की शुरूआत 13 जनवरी 2016 को की गयी यह योजना देश के सभी राज्यों में लागू किया जाना का लक्ष्य है यह योजना भारत सरकार के कृषि विभाग मंत्रालय द्वारा संचालित की गई है। यह योजना पूरे देश के किसानों को लाभान्वित करेगी जिससे किसानों की आत्महत्या बढती तादात को कम किया जा सकेगा, इस बीमा योजना के लिए की जाने वाली पूरी कार्यवाही को आसान बनाया जायेगा जिससे किसान आसानी से इसे पूरा कर राशि प्राप्त कर सके किसानों पर सबसे बड़ी समस्या प्राकृतिक आपदा है जिसके चलते गत कई वर्षों से किसान गर्त में चला जाता रहा है इसलिए इस योजना को 23 प्रतिशत से बढाकर 50 प्रतिशत तक ले जाने की सोच है इस योजना के तहत 5 करोड़ किसानों को जोड़ा जायेगा और संकट से उबारा जायेगा इस योजना के तहत सभी किसान शामिल हो सकते हैं जिन्होने उधार लेकर बीज बोया है या अपने स्वयं के धन से बीज बोया हो दोनों परिस्थति में किसान बीमा के लिए क्लेम कर सकता है केन्द्र राज्य को अपने नियमों में संशोधन का आदेश दिया है जिससे किसान इस योजना से आसानी से जुड़ सके देश के कई हिस्सों में बटाई पर खेती जाती है जिस कारण कई किसानों के पास प्रमाण नहीं होता कि उन्होने फसल पर पैसा लगाया है जिसके लिए नियमों में संशोधन कर उन बटाईदार किसानों को प्रमाण पत्र मुहैया कराये जायेगें जिससे वे इस योजना का लाभ उठा सकें। सरकार ने तकनीकी सुविधा भी दी है जिससे किसानों को जल्द से जल्द राशि मिल सके तकनीकी सुविधा के कारण इसमें फ्राड होने की गुंजाइश भी कम होगी जिससे धन सही हांथों मे जा सकेगा जरूरतमंद ही योजना का लाभ उठा पायेंगे।

मुख्य शब्दः– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान बीमा।

प्रस्तावना :–

भारत की एक बहुत बड़ी आबादी खेती पर निर्भर करती है इनका जीवन यापन खेती पर ही निर्भर करता है किन्तु कई बार मौसम की मार जैसे सूखा, बाढ आदि की वजह से इनकी फसल नष्ट हो जाते हैं और इन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ जाता है। कई बार किसान कर्ज और नुकसान के बोझ तले आत्म हत्या तक कर लेते है। इस समस्या से निदान पाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भारूआत की है जिसकी सहायता से किसान अब अपने फसल की बीमा करा पायेगें और किसी भी तरह से उनके फसल का नुकसान होने पर उसकी भरपाई इसी बीमा के द्वारा की जावेगी। इस योजना की शुरूआत 13 जनवरी 2016 को की गयी यह योजना देश के सभी राज्यों में लागू किया जाना का लक्ष्य है यह योजना भारत सरकार के कृषि विभाग मंत्रालय द्वारा संचालित की गई है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है –

इस योजना के तहत केन्द्र और राज्य सरकार किसानों को उनकी फसल के लिए बीमा करवाया जायेगा जिसमें प्रीमियम दर बहुत कम कर दी गयी है जिससे किसानों को पूरा लाभ मिले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम कम होगा लेकिन ज्यादा नुकसान पूरा किया जायेगा इस योजना में लगने वाले बजट का वहन दोनों राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा किया जायेगा अनुमानित तौर पर इसका बजट 17600 करोड़ तय किया गया है। यह बीमा एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कंपनी के अंडर में होगा यह कंपनी बीमा भुगतान करेगी 2017–18 में इस योजना के तहत देश की 50 प्रतिशत खेती को इसका लाभ देना है। इसके लिए अतिरिक्त 9 हजार करोड़ रूपये इस योजना को दिये गये हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा का उद्देश्य –

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सरकार के कई लोक कल्याणकारी उद्देश्य निहित है इन उद्देश्यों का वर्णन नीचे किया जा रहा है –

फसल का उत्पात कई कारकों से प्रभावित होता है जैसे मौसम, कीटाणु का रोकथाम, विभिन्न फसल संबंधी रोग आदि इन सबके कुप्रभाव से फसल नष्ट होना शुरू हो जाती है और इससे किसानों को भारी क्षति होती है इस योजना की सहायता से सरकार इन कुप्रभावों से होने वाली क्षति से

किसानों को होने वाली आर्थिक हानियों में मदद करेगी इस योजना का लाभ हलांकि उन्हीं चयनित फसलों पर ही प्राप्त हो सकेगा जिसे सरकार ने योजना के अंतर्गत रखा है।

कृषि कार्य में लाभ अनिश्चितताओं से भरा हुआ है किसानों को आने वाले मौसम में उगाई जाने वाली फसल पर लाभ के प्रतिशत का कुछ भी अनुमान नहीं रहता है कई बार बाजार में किसी निर्”चत फसल की मांग कम होने की वजह से उन्हें फसल बेचने में भी परेशानी होती है और कभी–कभी नुकसान का बोझ उठाना पड़ता है। जिन अनिश्चितताओं के वजह से कई किसान खेती छोड़ भी देते हैं यह बहुत बड़ी समस्या है इससे निजात पाने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरूआत की है इस योजना की सहायता से इन अनिश्चितताओं पर काबू पाया जा सकेगा इस योजना के अंतर्गत किसानों के लिए नये–नये उपकरणों का प्रयोग अमल में लाया जायेगा देश में कई कृशि क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आज भी पुराने उपकरणों का प्रयोग और पारंपरिक खेती प्रक्रिया की वजह से उत्पाद अपेक्षित उत्पाद से बहुत कम होता है। इस योजना की सहायता से उन स्थानों पर कृशि संबंधित नये–नये तरीकों को लाया जायेगा आम तौर पर यह देखा जाता है कि कृषि क्षेत्र प्रायः रोजगार के लिये नहीं चुना जाता है इसकी एक बड़ी वजह इससे उत्पन्न होने वाला लाभ का परिमाण और इसकी अनिश्चितताएं है इस योजना की सहायता से कृषि क्षेत्र में एक प्रवाह लाने की कोशिश की जायेगी ताकि किसानों को नियमित रूप से कम से कम इतना लाभ प्राप्त हो सके कि वे जीवन यापन कर सकें।

योजना की विषेशताएं –

यह एक कृषि संबंधित स्कीम है अतः विभिन्न फसलों के लिए भिन्न–भिन्न सब्सिडी का निश्चय किया गया है अतः किसानों को अपने वास्तविक प्रीमियम पर 5 प्रतिशत , 2 प्रतिशत अथवा 5 प्रतिशत भुगतान करना पड़ेगा जो कि फसल पर निर्भर करेगा पहले के इस तरह के योजनाओं में सब्सिडी पर विषेश सीमा यह थी कि किसान अपने व्यापार को बढा नहीं सकते थे क्योंकि सरकार पर एक हद तक ही इनकी आर्थिक मदद करती थी नये सिरे से तैयार किये गये इस स्कीम की सब्सिडी पर किसी भी तरह की सीमा नहीं है अतः किसान खुलकर खेती कर सकेगें और अपना व्यापार बढा सकेंगे यह योजना किसान को खेती की नई तकनीकी से जोड़ने के लिए भी सक्षम है साथ ही योजना भी पूरी तरह से डिजिटल कर दी गयी है ताकि किसानों के लिए सभी तरह के लेन–देन के कार्य जल्द–से जल्द हो सके और किसानों को मुनाफा बिना किसी बिचौलिये के उनके बैंक खाते में प्राप्त हो सके। कृषि को और उन्नति बनाने के लिए सरकार फसल काटने की मशीन, यंत्र आदि को किसानों के बीच लाने की कोशिश कर रही है।

फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने की योग्यता

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किसी भी तरह की विषेश योग्यता की मांग नहीं की गयी है कोई भी किसान जो कृषि कार्य कर रहा है इसके लिए अप्लाई कर सकता है इस योजना की सबसे खास यह बात है कि दूसरे की जमीन पर खेती करने वाले किसान भी इस योजना के तहत अपने फसल की बीमा करा सकते हैं अतः सभी तरह के किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं किसानों को योजना के लिए पंजीकरण कराते हुए विभिन्न तरह के दस्तावेज जैसे जमीन, एग्रीमेन्ट, और राज्य सरकार द्वारा मान्य किये जाने पर अन्य सभी आव”यक दस्तावेज प्रदर्शित करना होता है। योजना के अंतर्गत किसान और फसल कवरेज इस स्कीम के अंतर्गत सभी तरह के पे”ावर किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है इसे निम्नलिखित घटकों में विभक्त किया गया है जिसका वर्णन इस प्रकार है –

1. **अनिवार्य घटक** – इस कैटेगरी के अंतर्गत वैसे किसान आते है जिन्होने अपनी खेती के लिए एस.ए.ओ. लोन ले रखा है यह एक तरह का मौसमी फसल लोन होता है जिन किसानों ने इस तरह का लोन लिया है उन्हें बिना किसी आपत्ति के इस योजना के तहत पंजीकृत कराने का अवसर प्राप्त हो जायेगा।
2. **वालेन्टरी (स्वैच्छिक घटक)** – यदि कोई उपरोक्त कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आता है यानि किसी तरह का कृषि संबंधित लोन नहीं लिया है तो इस योजना के अंतर्गत उसकी भागीदारी उसकी स्वेच्छा से होगी तात्पर्य ये है कि यह उस पर निर्भर करेगा कि वह इस योजना के अंतर्गत अपना नामांकन कराना चाहता है या नहीं हालांकि सरकार अधिक से अधिक किसानों को इस योजना से जोड़ने का प्रयत्न कर रही है विषेशतः उन किसानो को जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अथवा महिला है इन सभी को इनकी जमीन के हिसाब से फन्ड आवंटित किया जावेगा।
3. **फसल** – इस योजना के अंतर्गत जिन फसलों को लाया गया है वह मूलभूत भोज्य पदार्थ हैं जैसे धान, गेहू, दाल, तेलबीज, मूंगफली, कपास ,रेड़ी आदि इसी के साथ कुछ अन्य बागवानी संबंधित फसल जैसे आम, केला, अमरूद, काजू आदि को भी रखा गया है।

योजना के अंतर्गत आने वाली आपदाएं (योजना डिजास्टर मैनेजमेन्ट)–योजना का लाभ उठा रहे किसानों को

निम्नलिखित आपदाओं के एवज में बीमा का लाभ मिल पायेगा –

- यदि फसल बिजली गिरने से या प्राकृतिक रूप से लगी आग में नष्ट होती है ।
- यदि फसल आंधी मूसलाधार बारिश, चक्रवात और तूफान आदि में नष्ट होती है।
- यदि फसल के नष्ट होने का कारण बाढ, भू स्खलन आदि बने तो ।
- सूखा विभिन्न तरह के फसल संबंधित रोग कीड़े आदि लगने से फसल नष्ट होती है तो भी बीमा का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा आन लाइन वेव पोर्टल –

भारत सरकार अपने सभी योजनाओं को डिजिटल प्रारूप देने की कोशिश में लगी हुई है ताकि सिस्टम में पारदर्शिता आये और लाभार्थी को बिना किसी थर्ड पार्टी के लाभ प्राप्त हो सके अतः सरकार ने इस योजना के लिए आनलाइन बेव पोर्टल और स्मार्ट फोन एप्लीकेशन का निर्माण किया है नीचे इस आनलाइन वेब पोर्टल का लिंक दिया जा रहा है।

'http:// agri-insurance.gov.in/ login aspx and http:// pmfby.gov.in

ऊपर दिये गये लिंक पर जाकर किसान अपने फसल के लिए बीमा का आवेदन दे सकते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आनलाइन कैसे अप्लाई करें –

इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए http:// pmfby.gov.in इस लिंक पर जाकर आवेदन करना होगा लिंक पर जाने के बाद जो पेज खुलेगा उस पेज में आपको सबसे पहले ''किसान कार्नर स्वयं द्वारा फसल बीमा के लिए आवेदन करें'' लिखा हुआ दिखेगा जिस पर क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद आपसे एकाउंट बनाने के लिए कहा जायेगा जिसके लिए आपको ''गेस्ट फार्मर'' पर क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद http:// pmfby.gov.in फार्मर रजिस्ट्रेशन फार्म ये लिंक खुलेगा और इस लिंग पर आपसे पूंछी गयी जानकारी जैसे नाम पता और बैंक एकाउंट डिटेल्स को भरना होगा ये सभी डिटेल्स भरने के बाद रिजस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो जायेगी रजिस्टेशन प्रोसेस खत्म होने के बाद लाग इन http:// pmfby.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन लाग किया जा सकेगा इस तरह से फसल बीमा के लिए आनलाइन आवेदन दिया जा सकता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पालिसी अमाउन्ट कैसे क्लेम करें –

इस स्कीम के अंतर्गत किसान अपनी बीमा राशि या तो अपनी बैंक से अथवा उन इन्स्योरेन्स कंपनी जिन्हें सरकार ने इस योजना के लिए चुना है वहां से प्राप्त कर सकते हैं यदि इन्सयोरेन्स कवर बैंक से प्राप्त किया जावे तो बैंक खुद व खुद किसानों के लिए अलग–अलग एकाउंट में पैसे जमा कर देगा एक बार बैंक एकाउंट में पैसा जमा हो जाने के बाद लाभार्थियों का नाम और उनके डिटेल बैंक द्वारा सम्पादित किये जायेगें। किसी इन्सयोरेन्स पालिसी कंपनी के अंतर्गत लाभ प्राप्त होने पर ये इन्सयोरेन्स कंपनियों द्वारा किसान के बैंक एकाउंट में बीमा की राशि आनलाइन ट्रान्सफर कर दी जाती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल का नाम कैसे बदलें –

किसान अपने खेत के मिट्टी के गुणों और तत्कालिक वातावरण के अनुसार फसल उगाने की योजना बनाता है और अपने चयनित फसल पर बीमा की सुविधा अर्जित करता है किन्तु कभी परिस्थितीवश किसानों को अपनी योजना में परिवर्तन लाना होता है और तय किये गये अनाज की जगह अन्य अनाज की खेती करनी होती है ऐसे में नये फसल पर बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को नये फसल की बीमा करानी होती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐसी परिस्थिति से निपटने में खूब सहायता करती है अतः इस योजना के अंतर्गत किसान बीज रोपण के तीस दिन के पहले तक अपनी फसल का नाम बदल सकते हैं यदि नये फसल का प्रीमियम पुरानी फसल के प्रीमियम से अधिक है तो किसान को बांकी बची राशियां जमा करनी होती है इसी तरह नई फसल की प्रीमियम पुरानी फसल की प्रीमियम से कम है तो बांकी बची राशि किसान के बैंक एकाउंट में रिफन्ड कर दी जाती है।

फसल बीमा योजना संचालन और निगरानी –

जैसा कि यह योजना बहुत बड़े पैमाने पर शुरू की गयी है अतः इस योजना में केवल केन्द्र सरकार का ही योगदान नहीं है इस योजना को पूरा करने के लिए भारत सरकार कृशि विभाग किसान कल्याण समिति, कृशि और किसान कल्याण मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकार एक साथ काम कर रहे हैं ये सभी इस योजना के मुख्य स्तम्भ हैं इनके अलावा इनमें कई व्यवसायिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तथा विभिन्न सरकारी कृषि विभाग भी भाामिल है। तत्कालिक समय में DCA & FW ने कृशि इन्स्योरेन्स कंपनी को भी इससे संयुक्त कर दिया है तथा आर्थिक सत्य बेहतर

इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि के मददेनजर भी कई कंपनियों को इससे जोड़ा गया है यदि कुछ बड़े नाम गिनवाये जाये तो ICICI Lombard, HDFC ERGO, General insurance company limited , iffco Tokio, Bajaj Allianz, reliance, future generally India insurance company limited, TATA AIG general insurance company limited , SBI General insurance company limited आदि इस योजना में सरकार का साथ दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा से प्राप्त होने वाले –

इस योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है इस योजना के तहत किसान को पहले दिये जा रहे प्रीमियम से बहुत कम प्रीमियम भरना पड़ता है रबी फसल के प्रीमियम के तौर किसानों को 5 प्रतिशत और खरीफ फसल के लिए 2 प्रतिशत की प्रीमियम भरनी होती है कई ऐसी सरकारी योजनायें पहले सब्सिडी पर लगाई उनकी विषेश सीमाओं की वजह से फेल हो गयी हैं इस योजना में सब्सिडी पर किसी भी तरह का कैप नहीं रखा गया है। अतः किसान इस योजना के अंतर्गत बेहद अच्छे से लाभ उठाते हुए पूरी निडरता से खेती कर पायेगे पुरानी बीमा योजना के अंतर्गत जो किसान पारसियल प्रीमियम भरते थे उन्हें उनके द्वारा क्लेम किये गये पूरे एमाउंट का एक हिस्सा ही दिया जाता था इस स्कीम के अंतर्गत उनके द्वारा क्लेम की गयी पूरी राशि दी जावेगी इस योजना के अंतर्गत सभी तरह के प्राकृतिक आपदाओं को रखा गया है उन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसल नश्ट होती है तो बीमा की राशि प्राप्त हो सकती है। इस योजना में डिजिटल प्लेटफार्म की मदद की जा रही है इसके लिए आनलाइन बेवसाइट और एप्लीकेशन का प्रयोग किया जा रहा है इस तरह से इस योजना के तंत्र में पारदर्शिता है और सबसे खास बात यह है कि आनलाइन फन्ड ट्रान्सफर होने की वजह से बहुत जल्द किसानों को उनके क्लेम की गयी राशि प्राप्त हो जाती है। एक बार फसल के नष्ट होने की पुष्टिकरण हो जाने के साथ ही क्लेम की गयी राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा किसान के खाते में डिपोजिट कर दिया जाता है इसके लिए किसान का आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा होना जरूरी है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए फन्ड एलाकेशन

यह योजना 2016–17 फायनेन्शियल इयर के दौरान लांच हुई थी लांच होने के साथ ही तत्कालिक समय में खेती किये जा रहे जमीन की 30 प्रतिशत जमीन को इसके अंतर्गत लाने की कोशिश की गयी इसके लिए 5500 करोड़ रू0 का बजट बनाया गया इसी तरह साल 2017–18 के लिए इस सीमा को बढाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है जो साल 2018–19 के दौरान 10 प्रतिशत और बढ़कर 50 प्रतिशत हो जायेगी इस योजना को पूरा करने के लिए कुल 9000 करोड़ का बजट तैयार किया गया है जो साल 2016 से साल 2019 तक का बजट है।

योजना के तहत प्रीमियम दर –

रबी की फसल – रबी की फसल पर 5 प्रतिशत प्रीमियम होगा, जिनमें गेहू, जौ, सरसों चना, मसूर, आदि आती है

खरीफ की फसल – इस पर 2 प्रतिशत प्रीमियम होगा जिनमें धान, मक्का, ज्वार ,बाजरा, मूंग, गन्ना, मूंगफली आदि आती है।

बगवानी फसल – बागवानी फसल पर 5 प्रतिशत प्रीमियम होगा जिसमें कपास को लिया जाता है

तिलहन की फसल – तिलहन की फसल पर भी 5 प्रतिशत प्रीमियम होगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा में सरकार की भूमिका –

योजना के तहत जब कोई किसान किसी प्राकृतिक आपदा के कारण अपनी फसल को खो देता है तब किसानों को 25 प्रतिशत तुरंत दिया जायेगा और बचा हुआ नुकसान स्थिति के अवलोकन के बाद दिया जायेगा इस योजना में 8 प्रतिशत का वहन और 8 प्रतिशत का वहन राज्य सरकार द्वारा उठाया जायेगा जबकि 2 प्रतिशत राशि प्रीमियम के तौर पर किसान द्वारा जमा किया जायेगा।

निष्कषः-

यह योजना पूरे देश के किसानों को लाभान्वित करेगी जिससे किसानों की आत्महत्या बढती तादात को कम किया जा सकेगा, इस बीमा योजना के लिए की जाने वाली पूरी कार्यवाही को आसान बनाया जायेगा जिससे किसान आसानी से इसे पूरा कर राशि प्राप्त कर सके किसानों पर सबसे बड़ी समस्या प्राकृतिक आपदा है जिसके चलते गत कई वर्शों से किसान गर्त में चला जाता रहा है इसलिए इस योजना को 23 प्रतिशत से बढाकर 50 प्रतिशत तक ले जाने की सोच है इस योजना के तहत 5 करोड़ किसानों को जोड़ा जायेगा और संकट से उबारा जायेगा इस योजना के तहत सभी किसान शामिल हो सकते हैं जिन्होने उधार लेकर बीज बोया है या अपने स्वयं के धन से बीज बोया हो दोनों परिस्थिति में किसान बीमा के लिए क्लेम कर सकता है केन्द्र राज्य को अपने नियमों में संशोधन का आदेश दिया है जिससे किसान इस योजना से आसानी से जुड़ सके देश के कई हिस्सों में बटाई पर खेती जाती है जिस कारण कई किसानों के पास प्रमाण नहीं होता कि उन्होने फसल पर पैसा लगाया है जिसके लिए नियमों में संशोधन कर उन बटाईदार किसानों

को प्रमाण पत्र मुहैया कराये जायेगें जिससे वे इस योजना का लाभ उठा सकें। सरकार ने तकनीकी सुविधा भी दी है जिससे किसानों को जल्द से जल्द राशि मिल सके तकनीकी सुविधा के कारण इसमें फ्राड होने की गुंजाइश भी कम होगी जिससे धन सही हांथों मे जा सकेगा जरूरतमंद ही योजना का लाभ उठा पायेंगे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. प्रतियोगिता दर्पण मासिक।
2. योजना पत्रिका।
3. कुरूक्षेत्र पत्रिका।
4. इन्टरनेट।
5. दैनिक समाचार पत्र।
6. मंथन इयर बुक।
7. दृष्टि मासिक पत्रिका।